न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 70 / 2019

1 मजीद खां उम्र 64 साल पुत्र श्री स्व. मनवर खां
2 बलकेश बानो उम्र 66 साल पत्नी स्व. अलादीन खां
3 फजर रसूल उम्र 44 साल पुत्र स्व. अलादीन खां
4 शाहीर खां उम्र 29 साल पुत्र स्व. अलादीन खां
5 शब्बीर खां उम्र 74 साल पुत्र स्व. सादुले खां
6 मुजफ्फर खां उम्र 65 साल पुत्र स्व. सादुले खां
7 जाकीर हुसैन उम्र 57 साल पुत्र स्व. सादुले खां
8 हाजरा बानों उम्र 69 साल पत्नी स्व. आसिफ खां
9 अजाज नबी खां उम्र 54 साल पुत्र स्व. आसिफ खां
10 मो. सदीक उम्र 49 साल पुत्र स्व. आसिफ खां
11 फरजाना बानो उम्र 57 साल पत्नी स्व. लियाकत खां
12 नवीद खां उम्र 34 साल पुत्र स्व. लियाकत खां
13 नदीम खां उम्र 29 साल पुत्र स्व. लियाकत खां
14 फराज खां उम्र 27 साल पुत्र स्व. लियाकत खां
समस्त जाति कायमखानी मुसलमान निवासीगण ग्राम क्यामसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 झहीर हुसैन खां उम्र 59 साल पुत्र श्री बशीर खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी क्यामसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 06.08.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर मु.नं. 90/2015 उनवानी मजीद खां वगै. बनाम झहीर हुसैन प्रार्थना पत्र अ.धारा 212 आर.टी.एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति :

1. श्री विनोद गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 11/3/15

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 90/2015 में पारित निर्णय दिनांक 06.08.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलान्टस की ओर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के समक्ष दिनांक 03.11.2015 को उपरोक्त उनवानी दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस अंतरिम सुनी जाकर विचारण न्यायालय की ओर से विवादित भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिनांक 03.11.2015 को पारित किया गया। मामले में रेस्पोडेन्ट विपक्षी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात मामले में दिनांक 06.08.2019 को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस अंतिम सुनी जाकर प्रार्थीगण/अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.08.2019 को खारिज कर दिया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन सहायक अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

गया। उक्त आदेश दिनांक 06.08.2019 से व्यथित होकर यह मौजुदा अपील अपीलान्टस की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय पारित आदेश दिनांक 06.08.2019 में विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/अपीलान्टस का प्रथम दृष्टया मामला बनना नहीं पाये जाने की फाईडिंग देकर भारी कानूनी भूल की है क्योंकि जब अपीलान्टस द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में वादग्रस्त भूमि पुराना खसरा नम्बर 97 तादादी 7 बीघा 3 बिश्वा हाल खसरा नम्बर 105 रकबा 1.81 हैक्टेयर स्थित ग्राम क्यामसर तन धनुरी की मिसल हकियत संवत 1998, जमाबन्दी संवत 2012 व संतव 2014 में प्रार्थीगण के पूर्वज सादूले खां व मनवर खां की काश्त एवं खातेदारी दर्ज है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व व बाद में बतौर टिनेन्ट बहिस्सा उक्त मनवार खं सादुले खां का काबिज काश्त था इस प्रकार उक्त मनवर खां व सादुले खां के देहान्त के पश्चात वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण काबिज काश्त करते आ रहे है जिससे प्रार्थीगण का मजबूत प्रथम दृष्टया मामला साबित है। रेस्पोडेन्ट के पूर्वज महमुद खां व उनके पुत्र हैदर खां का वादग्रस्त पुराना खसरा नम्बर 97 रकबा 7 बीघा 3 बिश्वा पर कभी भी खुद काश्त काबिज नहीं रहे। उक्त भूमि झुन्झुनूं जिले की माफी खालसा दिनांक 01.03.1960 को तब माफी खालसा होने पर माफी भूमियों का भू–प्रबन्धन होने के वक्त जमीन जैर बहस पर उपरोक्त अनुसार अपीलान्टस के पूर्वज मनवर खां व सादुले खां बतौर टिनेन्ट काबिज काश्त थे परन्तु राजस्व अधिकारियों ने माफी की खतौनी में जमीन माफीदार के पुत्र हैदर खां की खातेदारी में गलत रूप से दर्ज कर दी उक्त राजस्व रिकार्ड की गलत बना है। उक्त हैदर खां व उसके पिता की खुद काश्त में उक्त जमीन जैर बहस कभी नहीं रही। उपरोक्त वर्णित जमीन गत खसरा नम्बर 97 रकबा 7 बीघा 3 बिश्वा भूमि स्व. हैदर खां के नाम गलत दर्ज होने के पश्चात आगे भी हैदर खां की मृत्यु पर उनक पोते झहिर हुसैन रेस्पोडेन्ट के नाम जरिये इन्तकाल संख्या 15 गलत दर्ज हुई है जो राजस्व रिकार्ड

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
झुन्झुनूं

रेस्पोडेन्ट के नाम जमीन जैर बहस का चला आ रहा है। उसका राजस्व रिकार्ड उक्त हैदर खां के नाम शुरू से ही गलत दर्ज हुआ है जो प्रारम्भ से आज तक वादीगण अपीलान्टस के खातेदारी अधिकारों के विपरित एवं निष्प्रभावी है। विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु तीनों का अलग अलग रूप से विवेचन कर पारित भी नहीं किया गया है। वादग्रस्त भूमि दौराने दावा विक्रय, खुर्द बुर्द व अलाईमेन्ट करने से मूलवाद में पेचिदगियां पैदा होगी तथा वादीगण का दावा प्रस्तुत करना ही बेसुद हो जायेगा। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.2019 को खारिज फरमाया जावे एवं वादग्रस्त भूमि गत खसरा नम्बर 97 रकबा 7 बीघा 3 बिश्वा हाल खसरा नम्बर 105 रकबा 1.81 हैक्टेयर स्थित ग्राम क्यामसर तन धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं के बाबत तादौराने वाद सुनवाई तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश प्रदान करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि प्रार्थीगण अपीलांट अथवा उनके पूर्वजो के नाम न तो कभी खातेदारी में दर्ज रही है न ही प्रार्थीगण अपीलांट एवं उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त रहा है। कब्जेकाश्त व खातेदारी के अभाव में प्रार्थीगण अपीलांट के पक्ष में विधि अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थीगण अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट द्वारा विवादित भूमि संवत 2014 तक अपीलांट के पूर्वजों के नाम दर्ज होने के आधार पर दावा व टीआई प्रस्तुत कर ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा चाही थी। विचारण न्यायालय में प्रार्थना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन में प्रार्थी एवं अप्रार्थी की दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त किये बिना, प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु को निर्धारित किये बिना विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 11/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर